



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14685

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - सी - 549 वर्ष 2026

दयाशंकर यादव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अभिषे पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. यह तर्क दिया जाता है कि मूल वाद संख्या 541/2012 में वादी-याचिकाकर्ता के पक्ष में दिनांक 26.05.2015 को निषेधाज्ञा जारी किए जाने के बावजूद, जिला मजिस्ट्रेट, देवरिया द्वारा दिनांक 23.12.2025 को एक आदेश पारित किया गया।
2. यह तर्क दिया जाता है कि अधिकारियों को निर्देश देने हेतु परमादेश जारी किया जाए कि वे ग्राम कर्मेल, बनराही, तहसील रुद्रपुर, जिला देवरिया में स्थित 0.137 हेक्टेयर क्षेत्रफल में से 0.020 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले गटा संख्या 248 पर कब्जे में परिवर्तन न करें।
3. अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 23.12.2025 के आदेश के बाद याचिकाकर्ता द्वारा उसी तिथि को एक आपत्ति दर्ज की गई थी और देवरिया के मुख्य राजस्व अधिकारी द्वारा दिनांक 24.12.2025 को एक अन्य आदेश पारित किया गया था, जिसके द्वारा उप-विभागीय अधिकारी से रिपोर्टे मंगाई गई थी।
4. यह तर्क दिया गया है कि दिनांक 23.12.2025 के आदेश का सहारा लेकर अब राजस्व अधिकारी याचिकाकर्ता को बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।
6. यद्यपि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि विचाराधीन मुकदमे में याचिकाकर्ता के पक्ष में दिनांक 26.05.2015 को अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की गई थी, लेकिन इस संबंध में कोई भी दस्तावेज पूरी याचिका में संलग्न नहीं किया गया है।
7. इसके अलावा, अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दीवानी मुकदमा अभी भी विचाराधीन है।
8. इस स्थिति में, न्यायालय का मत है कि यदि याचिकाकर्ता अधिकारियों की किसी भी कार्यवाही से असंतुष्ट है, तो वह लंबित मुकदमे में आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है। वर्तमान रिट याचिका में मांगी गई कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती।
9. तदनुसार, रिट याचिका खारिज की जाती है।
10. उपरोक्त आदेश पारित होने के बाद, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने वर्तमान याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की है, क्योंकि इस पर जोर नहीं दिया गया है।
11. चूंकि रिट याचिका पर कम से कम 15 मिनट तक गुण-दोष के आधार पर सुनवाई हो चुकी है, इसलिए यह प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

21 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"